संख्या- 14 /2018/ 890/अडतीस-7-2018-42एनआरईजीए/2007

प्रेषक,

विजय बहादुर वर्मा,
उप सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

1 समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
2 समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 02 मई, 2018**

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिकों को प्रतिदिन देय मजदूरी का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- जे-11011/1/2009-आरई-।।। दिनांक: ३१-03-2018 द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत अकुशल हस्त कर्मकारों के लिए मजदूरी दरों को दिनांक: 01-04-2018 से रू0 175.00 निर्धारित किया गया है। अत: उक्त के दृष्टिगत तदनुसार शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार की अधिसूचना के अनुरूप मनरेगा योजनान्तर्गत निर्धारित मजदूरी की दर रू0 175.00 प्रतिदिन निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । यह आदेश दिनांक: 01-04-2018 से प्रभावी होंगे।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय

विजय बहादुर वर्मा
उप सचिव।

संख्या- 14/2018/890 (1)/अड़तीस-7-2018 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, लोक निर्माण, वन, सिंचाई, राजस्व, कृषि, लघु सिंचाई ग्रामीण अभियंत्रण, कार्यक्रम क्रियान्वयन, श्रम, भूमि विकास एवं जल संसाधन,रेशम, मत्स्य एवं नियोजन विभाग।
2. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4. अपर आयुक्त, मनरेगा, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त मण्डलायुक्त , उत्तर प्रदेश ।
6. निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार (आईसीडीएस), उ0प्र0।
7. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त परियोजना निदेशक, डीआरडीए, उत्तर प्रदेश ।
9. वेब मास्टर/ ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग ।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से

विजय बहादुर वर्मा
उप सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।